

विधान सभा सचिवालय

मध्यप्रदेश

//शुद्धि पत्र//

दिनांक 09.08.2021 की प्रश्नोत्तर सूची में मुद्रित निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध करके पढा जावे ।

भाग-1 तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	मुद्रित पृष्ठ	अशुद्ध	शुद्ध
ता.प्र.सं.14 (क्र. 465) प्र.(घ)	08	निश्चत किये	निश्चित किये
ता.प्र.सं.16 (क्र. 449) प्र.(क)	09	यदि हां ता े उन	यदि हां तो उन

भाग-2 नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	मुद्रित पृष्ठ	अशुद्ध	शुद्ध
परि.अता.प्र.सं.02 (क्र. 10) शीर्षक	16	एफ.आई.आई.	एफ.आई.आर.
परि.अता.प्र.सं.03 (क्र. 11) उ.(ख)	17	पुस्तकालय रखे	पुस्तकालय में रखे
परि.अता.प्र.सं.03 (क्र. 11) उ.(ग)	17	पुस्तकालय रखे	पुस्तकालय में रखे
परि.अता.प्र.सं.17 (क्र. 99) प्र.(घ)	24	दाषियों पर	दोषियों पर
परि.अता.प्र.सं.18 (क्र. 101) प्र.(क)	25	किनती-कितनी	कितनी-कितनी
परि.अता.प्र.सं.31 (क्र. 169) प्र.(ख)	33	जानकारी उपलब्ध	जानकारी उपलब्ध
परि.अता.प्र.सं.44 (क्र. 213) प्र.(क)	43	किया जना भी	किया जाना भी
परि.अता.प्र.सं.49 (क्र. 237) शीर्षक	47	रेमेडीसिवर इंजेक्शन	रेमेडीसिवर इंजेक्शन
परि.अता.प्र.सं.51 (क्र. 250) उ.(क)	49	निश्च ित तिथि	निश्चित तिथि
परि.अता.प्र.सं.51 (क्र. 250) उ.(ग)	49	शासकीय विधालय	शासकीय विद्यालय
परि.अता.प्र.सं.53 (क्र. 261) प्र.(ग)	50	संबंध ि तो के	संबंधितों के
परि.अता.प्र.सं.73 (क्र. 378) प्र.(ग)	64	कि सान के	किसान के
परि.अता.प्र.सं.87 (क्र. 413) प्र.(क)	74	प्र ि लिमिनरी इन्क्वायरी	प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी
परि.अता.प्र.सं.92 (क्र. 434) प्र.(ग)	77	रिमाई मांगी	रिमांड मांगी
परि.अता.प्र.सं.99 (क्र. 461) प्र.(ग)	82	यदि हो तो	यदि हां तो

भाग-3 अतारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	मुद्रित पृष्ठ	अशुद्ध	शुद्ध
अता.प्र.सं. 02 (क्र. 13) प्र.(ख)	90	कितने अवेदकों को	कितने आवेदकों को
अता.प्र.सं. 12 (क्र. 68) प्र.(ख)	95	अवध ि में	अवधि में
अता.प्र.सं. 18 (क्र. 128) प्र.(ग)	98	बेचे जाने के जान और	बेचे जाने के और

प्रश्न संख्या एवं क्रमांक	मुद्रित पृष्ठ	अशुद्ध	शुद्ध
अता.प्र.सं. 20 (क्र. 143) प्र.(ग)	99	किये जाने कारण	किये जाने का कारण
अता.प्र.सं. 20 (क्र. 143) उ.(ग)	99	उत्तर समाहित है	उत्तर में समाहित है
अता.प्र.सं. 38 (क्र. 186) प्र.(क)	109	नहीं गई है	नहीं की गई है
अता.प्र.सं. 47 (क्र. 215) प्र.(घ)	116	नियुक् ित नहीं दी	नियुक्ति नहीं दी
अता.प्र.सं. 49 (क्र. 225) उ.(घ)	119	पंचायत विजयराघवढ	पंचायत विजयराघवगढ
अता.प्र.सं. 58 (क्र. 282) प्र.(ख)	125	संचाल ित की	संचालित की
अता.प्र.सं. 58 (क्र. 282) प्र.(घ)	125	मण्ड ियों का	मंडियों का
अता.प्र.सं. 60 (क्र. 287) प्र.(ग)	126	उन्हें उच्चे दामों में	उन्हें उच्च दामों में
अता.प्र.सं. 87 (क्र. 416) प्र.(क)	143	प ुलिस अधीक्षक	पुलिस अधीक्षक
अता.प्र.सं. 91 (क्र. 425) प्र.(क)	146	विश्विद्यालय	विश्वविद्यालय
अता.प्र.सं. 92 (क्र. 432) प्र.(ग)	147	मापदण्ड/दि शा	मापदण्ड/दिशा
अता.प्र.सं. 94 (क्र. 436) प्र.(ग)	149	कोव िड	कोविड
अता.प्र.सं. 99 (क्र. 446) प्र.(क)	151	की स्वीकृत प्रदान	की स्वीकृति प्रदान
अता.प्र.सं. 103 (क्र. 457) प्र.(ख)	153	स्थापित करने	स्थापित करने
अता.प्र.सं. 103 (क्र. 457) प्र.(ख)	153	नीता अनुसार	नीति अनुसार
अता.प्र.सं. 116 (क्र. 1119) उ.(घ)	161	प्रदत किया	प्रदत्त किया

तारां. प्रश्न संख्या 02 (क्र.193) , तारां. प्रश्न संख्या 09 (क्र.140), तारां. प्रश्न संख्या 19 (क्र. 188) एवं तारां. प्रश्न संख्या 21 (क्र. 44) का पृथक वितरित उत्तर पढा जावे ।

स्थान: विधानसभा भवन
भोपाल
दिनांक: 08 अगस्त 2021

अवधेश प्रताप सिंह,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा